E-ISSN: 2583-9667
Indexed Journal
Peer Reviewed Journal
https://multiresearchjournal.theviews.in

Received: 08-08-2023
Accepted: 18-09-2023

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY

Volume 1; Issue 2; 2023; Page No. 363-366

नई शिक्षा नीति 2020 और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पनाः एक आंकलन

[1]Anurag Kaushik and [2]Dr. Maheep Mishra

[1]Research Scholar, Department of Education, Monad University, Hapur, Uttar Pradesh, India
[2]Professor, Department of Education, Monad University, Hapur, Uttar Pradesh, India

Corresponding Author: Anurag Kaushik

सारांश

आधुनिक भारत में नई शिक्षा नीति का विशिष्ट महत्व है। इनसे रचनात्मक और नवाचार को महत्व मिलेगा प्रस्तुत शोधपत्र में उच्च शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी शिक्षा नीति के बारे में बताया गया है। समय के साथ शिक्षा नीति में परिवर्तन आवश्यक होता है ताकि देश की उन्नति सही तरीके से और तेजी से हो सके। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति को 34 वर्षो के बाद लाया गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य पालको को केवल किताबी ज्ञान देना नहीं है बल्कि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी देकर उनकी मानसिक बौद्धिक क्षमता को और भी ज्यादा प्रबल बनाना है शिक्षा किसी भी देश और समाज के विकास की महत्वपूर्ण आधार होता है। शिक्षा के बलबूते ही किसी भी देश का विकास तेजी से किया जा सकता है। हालांकि समय के साथ–साथ हर चीजों में बदलाव आता है और उसके अनुसार शिक्षा में भी बदलाव किया जाना चाहिए क्योंकि पहले समय में टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं हुआ था लेकिन अब दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी का विकास होते जा रहा है, लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी की और कदम बढ़ा रहे है। ऐसे में बालकों को न केवल किताबी ज्ञान बल्कि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान और टेक्निकल ज्ञान भी दिया जाना चाहिए ताकि अपनी योग्यताओं को बढ़ा सके और उसके बलबूते अपने भविष्य को बेहतर बना सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए साल 2020 को संसद में नई शिक्षा नीति को लाने के लिए बिल पास किया गया। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले दो बार शिक्षण के तरीके से बदलाव हो चुका है। यह शोध पत्र नई शिक्षा नीति 2020 के लिए संदर्भित है, जो मुख्यतः शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत–केंद्रित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है, जो इसकी परंपरा, संस्कृति, मूल्यों और लोकाचार में परिवर्तन लाने में अपना बहुमूल्य योगदान देने को तत्पर है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य बिना किसी भेद भाव के प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ने और विकसित होने के लिए एक सामान अवसर प्रदान करना है तथा विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, बुद्धि और आत्मविश्वास का सर्जन कर उनके दृष्टिकोणों का विकास करना है।

मूलशब्द: नई शिक्षा नीति 2020, आधुनिक भारत, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, शिक्षा नीति

1. प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी) शिक्षा में व्यापक परिवर्तन की परिकल्पना करती है – "भारतीय लोकाचार में निहित एक शिक्षा प्रणाली जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके भारत को एक समतापूर्ण और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने में सीधे योगदान देती है, जिससे भारत वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन जाता है।" एनईपी 2020 पहुँच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के पाँच मार्गदर्शक स्तंभों पर आधारित है। यह हमारे युवाओं को वर्तमान और भविष्य की विविध राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगा।

स्कूली शिक्षा में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उन मूल मूल्यों और सिद्धांतों पर जोर देती है कि शिक्षा को न केवल संज्ञानात्मक कौशल विकसित करना चाहिए, अर्थात् – साक्षरता और संख्यात्मकता के 'आधारभूत कौशल' और 'उच्च–क्रम' कौशल जैसे कि आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान – बल्कि सामाजिक और भावनात्मक कौशल – जिन्हें 'सॉफ्ट स्किल्स' भी कहा जाता है – जिसमें सांस्कृतिक जागरूकता और सहानुभूति, दृढ़ता और धैर्य, टीम वर्क, नेतृत्व, संचार आदि शामिल हैं। नीति का लक्ष्य और आकांक्षा पूर्व–प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है और 2025 तक सभी के लिए प्राथमिक विद्यालय और उससे आगे मूलभूत साक्षरता/संख्या ज्ञान की प्राप्ति पर विशेष जोर देती है। यह स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सुधारों की अधिकता की सिफारिश करती है, जिसका उद्देश्य स्कूलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, 3–18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को कवर करने वाले 5+3+3+4 डिजाइन के साथ शिक्षण सहित पाठ्यक्रम में परिवर्तन इसमें शिक्षा में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने, प्रौद्योगिकी के उपयोग को मजबूत करने और व्यावसायिक तथा वयस्क शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है। इसमें यह सिफारिश की गई है कि प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम का भार समग्र, चर्चा और विश्लेषण–आधारित शिक्षा के लिए जगह बनाकर उसकी 'मूल आवश्यक' सामग्री तक सीमित किया जाना चाहिए।

इसमें शिक्षा संरचना के सभी पहलुओं का पुनरीक्षण और पुनरुद्धार करने का प्रस्ताव है, जिसमें स्कूल विनियमन और शासन शामिल है, ताकि एक नई प्रणाली बनाई जा सके जो भारत की परंपरा, संस्कृति और मूल्य प्रणाली के साथ 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। कई मौजूदा और प्रस्तावित पहलों के माध्यम से प्रौद्योगिकी को शिक्षा के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिसमें ऊर्जावान पाठ्य पुस्तकें, शिक्षकों और शिक्षार्थियों की क्षमता निर्माण के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ई–सामग्री, सीखने के परिणामों पर आधारित प्रश्न बैंक आदि शामिल हैं। नीति में यह भी कहा गया है कि देश भर में हर बस्ती में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने से शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने में मदद मिली है। हालाँकि, इससे बहुत छोटे स्कूल (जिनमें छात्रों की संख्या कम है) विकसित हुए हैं, जिससे शिक्षकों और महत्वपूर्ण भौतिक संसाधनों को तैनात करना परिचालन रूप से जटिल हो जाता है। इसलिए, नीति अनुशंसा करती है कि कुशल शासन के लिए कई सार्वजनिक स्कूलों को एक साथ लाकर एक स्कूल परिसर या कोई अभिनव समूहीकरण तंत्र बनाया जा सकता है। नीति ने स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न केवल जीवन बदलने वाली है, बल्कि एक मन–शिल्प और चरित्र निर्माण का अनुभव भी है, जो नागरिकता पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। सशक्त शिक्षार्थी न केवल देश की बढ़ती विकासात्मक आवश्यकताओं में योगदान देते हैं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज के निर्माण में भी भाग लेते हैं।

उच्च शिक्षा में, एनईपी, 2020 शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि और सिफारिशें प्रदान करता है जिसमें बहु–विषयक और समग्र शिक्षा की ओर बढ़ना, संस्थागत स्वायत्तता, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना के माध्यम से गुणवत्ता अनुसंधान को बढ़ावा देना, शिक्षकों का निरंतर व्यावसायिक विकास, प्रौद्योगिकी का एकीकरण, उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, शासन और नियामक वास्तुकला का पुनर्गठन, बहु–विषयक पाठ्यक्रम, आकर्षक मिश्रित शिक्षाशास्त्र, वैध, विश्वसनीय और मिश्रित मूल्यांकन और भारतीय भाषाओं में सामग्री की उपलब्धता शामिल है। नीति से शिक्षा प्रणाली पर दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव पड़ने और 2047 में विकसित भारत की ओर ले जाने वाले अगले 25 वर्षों के 'अमृत काल' के दौरान भारत को कुशल जनशक्ति का वैश्विक केंद्र बनाने की उम्मीद है। इसके कार्यान्वयन के लिए केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, उच्च शिक्षण संस्थानों, नियामक एजेंसियों / नियामक निकायों और अन्य सभी संबंधित हितधारकों के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।

2. अध्ययन का महत्व

वास्तविक तथ्यों पर आधारित इस अध्ययन के निष्कर्ष समाज के हित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अध्ययन क्षेत्र में पूर्व अनुसंधान की कमी के कारण यह शोध मॉडल इस अध्ययन के लिए प्रस्तावित है। शोधकर्ता इस वर्तमान अध्ययन के सभी पहलुओं को समझाने का प्रयास करेगा। वर्तमान शोध नई शिक्षा नीति 2020 के नियम एवं शर्तों के अनुसार उच्च शिक्षा के सुधारों को समझने में मदद करेगा। यह शोध नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में पाठकों के बीच जागरूकता पैदा करने का प्रयास करेगा। यह संदर्भ सामग्री भी तैयार करेगा और आगे के अध्ययन के लिए गुंजाइश प्रदान करेगा।

3. समस्या का विवरण

नई शिक्षा नीति 2020 पांच स्तंभों पर केंद्रित हैः वहनीयता, अभिगम्यता, गुणवत्ता, न्यायपरस्ता और जवाबदेही – निरंतर सीखने की प्रकिर्या को सुनिश्चित करने के लिए। इसे समाज और अर्थव्यवस्था में ज्ञान की मांग के रूप में नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है, जिससे नियमित आधार पर नए कौशल हासिल करने की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर पैदा करना, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2030 में सूचीबद्ध पूर्ण और उत्पादक रोजगार और अच्छे काम की ओर अग्रसर होना, नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है। नई शिक्षा नीति 2020 ने पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ली है और 2040 तक भारत में प्राथमिक और उच्च शिक्षा दोनों को बदलने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया है। नई शिक्षा नीति 2020 स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में महत्वपूर्ण सुधारों की मांग करती है जो अगली पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए तैयार करती हैं जिससे वो नए डिजिटल युग में प्रतिस्पर्धा कर सके। इस प्रकार, नई शिक्षा नीति बहु–विषयकता, डिजिटल साक्षरता, लिखित संचार, समस्या–समाधान, तार्किक तर्क और व्यावसायिक प्रदर्शन पर अत्यधिक प्रभाव डालती है।

4. अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

1. नई शिक्षा नीति 2020 को पेश करना।
2. नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताओं को देखना।

5. अनुसंधान क्रियाविधि

यह अध्ययन पाठ्य, आलोचनात्मक, मूल्यांकनात्मक, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक विधियों का उपयोग करते हुए प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों के माध्यम से शिक्षा के विशेष संदर्भ के साथ एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में नई शिक्षा नीति 2020 के संपूर्ण अध्ययन पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसमें एमएलए हैंडबुक ऑफ रिसर्च के 8वें संस्करण का सख्ती से पालन किया गया है।

5.1 डेटा संग्रह

शोध अध्ययन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से आँकड़ों का संकलन किया गया है जिसके आधार पर सम्पूर्ण प्रपत्र का विश्लेषण किया गया है।

5.2 प्राथमिक स्रोत

प्राथमिक संसाधन नई शिक्षा नीति 2020 के मूल पाठ से एकत्र किए गए हैं जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है।

5.3 माध्यमिक स्रोत

एक माध्यमिक संसाधन एक स्रोत है जो नई शिक्षा नीति 2020 पर संदर्भ पुस्तकों सहित पुरानी या गैर–मूल जानकारी प्रदान करता है। माध्यमिक स्रोतों में जीवनी, लेखक के कार्यों के महत्वपूर्ण अध्ययन, शोध पत्र और शोध प्रबंध, शोध पुस्तकें, व्यक्तिगत साक्षात्कार, विकिपीडिया, ब्रिटानिका और अन्य वेबसाइटें शामिल हैं।

6. विवेचना

6.1 शिक्षा नीतिः परिवर्तन की आवश्यकता

शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, नवोन्मेष और शोध को बढ़ावा देने और देश को ज्ञान का सुपर पॉवर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता पड़ी है। अभी देश में जो शिक्षा नीति चल रही है, वह 34 साल पहले 1986 में राजीव गांधी सरकार के दौरान लागू की गई थी। शिक्षा नीति में परिवर्तन, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों प्री–स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सबके लिए एक समान पहुंच

सुनिश्चित करने, नवोन्मेष व शोध की संभावना तथा रट्टेदार शिक्षा के स्थान पर जीवनोपयोगी शिक्षा देने को ध्यान में रखकर की गयी है। इतना ही नहीं स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने तथा स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना भी इसके प्रमुख उद्देश्य हैं।

6.2 एनईपी–1986 और एनईपी–2020 में अंतर

पहले जहाँ शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय चलाया जाता था उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्त से लेकर सन् 1985 तक शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय ही हुआ करता था, किंतु राजीव गांधी सरकार ने इसका नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया था।

एनईपी–1986 की तुलना में नई शिक्षा नीति 2020 अत्यंत व्यापक, लचीली और संकल्पबद्ध है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आँगनवाड़ी/बालवाटिका/प्री–स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण 'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा' की उपलब्धता सुनिश्चित करना। वहीं 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा–1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी।

एनईपी–2020 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' की स्थापना की जाएगी। इतना ही नहीं राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा–3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी।

6.3 भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण

एनईपी–2020 में कक्षा–5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/ स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा–8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। बधिर छात्रों के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। एनईपी –2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिये एक 'भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान', 'फारसी, पाली और प्राकृत के लिये राष्ट्रीय संस्थान (या संस्थान)' स्थापित करने के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विभाग को मज़बूत बनाने एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम से रूप में मातृभाषा/ स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिये जाने का सुझाव दिया है।

6.4 नवीन शिक्षा व्यवस्था का प्रारूप

अभी हमारी स्कूली व्यवस्था 10+2 है। यानी 10वीं तक सारे सब्जेक्ट और 11वीं में स्ट्रीम तय करनी होती है। अब यह व्यवस्था बदलकर 5+3+3+4 कर दी गयी है। 3 से 6 साल के बच्चों को अलग पाठ्यक्रम तय होगा, जिसमें उन्हें पाठ्यक्रम के तौर पर खेल को अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके लिए अध्यापकों के अलग से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कक्षा एक से तीन तक के बच्चों को यानी 6 से 9 साल के बच्चों को लिखना पढ़ना आ जाए, इस पर खास ज़ोर दिया जाएगा। इसके लिए नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा।

वहीं कक्षा 6 से ही बच्चों को वोकेशनल कोर्स पढ़ाए जाएंगे, यानी जिसमें बच्चे कोई स्किल सीख पाए। बाकायदा बच्चों की इंटर्नशिप भी होगी, जिसमें वो मेकानिक अथवा तकनीक आधार कोई कार्य सीख सकता है। इसके अतिरिक्त छठी कक्षा से ही बच्चों का शिक्षण परियोजना आधारित होगा। कोडिंग सिखाई जाएगी। इसमें स्कूल के आखिर चार साल यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक एकसमान माना गया है, जिसमें सब्जेक्ट गहराई में पढ़ाए जाएंगे, लेकिन स्ट्रीम चुनने की जरूरत नहीं होगी मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई होगी। रसायन शास्त्र का छात्र चाहे तो भूगोल भी पढ़ पाएगा। या कोई अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधि जैसे– संगीत या कोई खेल है, तो उसे भी एक विषय के रूप में चयन कर सकेगा।

सभी बच्चे 3, 5 और 8 की स्कूली परीक्षा देंगे। ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षा जारी रखी जाएंगी, लेकिन इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र 'परख' स्थापित किया जाएगा। इतना ही नहीं स्कूलों के सिलेबस में बदलाव किया जाएगा। नए सिरे से पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे और वो पूरे देश में एक जैसे होंगे। जोर इस पर दिया जाएगा कि कम से कम पांचवीं क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जा सके। किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। भारतीय पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। स्कूल में आने की आयु से पहले भी बच्चों को क्या सिखाया जाए, ये भी अभिभावक को बताया जाएगा। जहाँ तक सवाल स्नातक का है तो अभी बीए, बीएससी जैसे ग्रेजुएशन कोर्स तीन साल के हैं। अब नई वाली पॉलिसी में तो कई तरह के विकल्प होंगे। जो नौकरी के लिहाज से पढ़ रहे हैं, उनके लिए 3 साल का ग्रेजुएशन। और जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, उनके लिए 4 साल का ग्रेजुएशन, फिर एक साल पोस्ट ग्रेजुएशन और 4 साल का पीएचडी। एमफिल की जरूरत भी नहीं रहेगी। एम फिल का कोर्स भी खत्म कर दिया गया है।

प्री–स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सबके लिए एकसमान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के इन्फ्रॉस्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। साथ ही नए शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाने का लक्ष्य है। बोर्ड की परीक्षाओं का अहमियत घटाने की बात है। साल में दो बार बोर्ड की परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। बोर्ड की परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र बनाने पर जोर दिया जाएगा। जहाँ तक मूल्यांकन का प्रश्न है तो बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में मूल्यांकन अब अध्यापकों के साथ–साथ बच्चे भी कर पायेंगे। बच्चों के लिए स्वमूल्यांकन हेतु एक अलग कॉलम दिया जाएगा। इतना ही नहीं अब बच्चे के सहपाठी भी अपने मित्र का मूल्यांकन कर पायेंगे।

बच्चा पाठशाला छोड़ते समय किसी न किसी स्कील में प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिले के लिए एक कॉमन इंट्रेस एक्जाम हो, इसके लिए नेशनल एसेसमेंट सेंटर बनाए जाने की भी व्यवस्था की जाएगी।

एनसीईआरटी की सलाह से, एनसीटीई टीचर्स ट्रेनिंग के लिए एक नया सिलेबस छब्ज्ञ् 2021 तैयार करेगा। 2030 तक, शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री हो जाएगी। शिक्षकों को प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए भर्ती किया जाएगा। प्रमोशन योग्यता आधारित होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक (एनपीएसटी) 2022 तक विकसित किया जाएगा। इस नीति के जरिए 2030 तक 100ः युवा और प्रौढ़ साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

6.5 नई शिक्षा नीति का लक्ष्य

व्यवसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में ळम्त (सकल नामांकन अनुपात) को 26 प्रतिशत (2018) से बढ़ाकर 2035 तक 50 प्रतिशत करना है। जीईआर हायर एजुकेशन में नामांकन मापने का एक माध्यम है। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी।

देशभर की हर यूनिवर्सिटी के लिए शिक्षा के मानक एक समान होंगे। यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी। सबका स्टैंडर्ड एक जैसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में अलग तरह की पढ़ाई हो रही है और डीयू के कॉलेज में कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है। और कोई प्राइवेट कॉलेज भी कितनी अधिकतम फीस ले सकता है, इसके लिए फी कैप तय होगी। रिसर्च प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए अमेरिका की तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, जो साइंस के अलावा आर्ट्स के विषयों में भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा।

आईआईटी, आईआईएम के समकक्ष बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू) स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा में टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल, शैक्षिक योजना, प्रशासन और प्रबंधन को कारगर बनाने तथा वंचित समूहों तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच बनाया जाएगा। विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज को देश में अपने कैम्पस खोलने की अनुमति दी जाएगी।

6.7 अन्य सुझाव

शिक्षा का वित्त पोषणः एनईपी ने शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी निवेश जीडीपी का 6ः करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उल्लेखनीय है कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 ने कहा था कि शिक्षा क्षेत्र में सरकारी व्यय जीडीपी का 6ः होना चाहिए जिसे 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी दोहराया था। 2017–18 में भारत में शिक्षा क्षेत्र पर सरकारी निवेश जीडीपी का 4.4ः था।

प्रौढ़ शिक्षाः प्रौढ़ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा ताकि निम्नलिखित पांच व्यापक क्षेत्र इसके दायरे में आ जाएंः (1) मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, (2) महत्वपूर्ण जीवन दक्षताएं (जैसे वित्तीय और डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य देखभाल और परिवार के संबंध में जागरूकता), (3) व्यावसायिक दक्षता विकास, (4) मूलभूत शिक्षा (मिडिल और सेकेंडरी शिक्षा के बराबर), और (5) निरंतर शिक्षा (आर्ट्स, तकनीक, खेल और संस्कृति के पाठ्यक्रमों में संलग्नता के जरिए)।

शिक्षा में तकनीकः राष्ट्रीय शिक्षा तकनीक फोरम (एनईटीएफ) की स्थापना की जाएगी ताकि तकनीक के इंडक्शन, तैनाती और उपयोग के संबंध में निर्णय लेने की सुविधा मिले। यह फोरम केंद्र और राज्य सरकारों को तकनीक संबंधी पहल से जुड़ी प्रमाण आधारित सलाह देगा।

डिजिटल शिक्षाः हाल की महामारी में देखा गया है कि जब व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षा देना संभव न हो तो उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित किया जाना चाहिए। समावेशी डिजिटल शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अनेक पहल की जानी चाहिए, जैसेः (1) ऑनलाइन क्लास के लिए टू वे ऑडियो और वीडियो इंटरफेस विकसित करना, (2) कोर्सवर्क, लर्निंग गेम्स और वर्चुअल रिएलिटी के जरिए स्टिमुलेशंस की डिजिटल रेपोजिटरी बनाना, (3) कई भाषाओं में टेलीविजन, रेडियो और मास मीडिया जैसे दूसरे चैनलों का इस्तेमाल, ताकि डिजिटल कंटेंट उन जगहों तक पहुंचे जहां डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, (4) मौजूदा ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पर वर्चुअल लैब्स बनाना ताकि विद्यार्थियों को भागीदारी पूर्ण प्रयोग आधारित शिक्षण प्राप्त हो सके, और (5) शिक्षकों को उच्च स्तर के ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना।

7. उपसंहार

अंत में सम्पूर्ण प्रपत्र के अध्यन करने के पश्चात यह कहा जा सकता है की नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा रटने वाले विषयों, समय सीमा को पूरा करने और अंक प्राप्त करने से कहीं अधिक है, लेकिन शिक्षा का वास्तविक अर्थ ज्ञान, कौशल, मूल्यों को प्राप्त करना और उस क्षेत्र में निरंतर कार्य करना और प्रगति करना है,जिसमें व्यक्ति अपनी रुचि खोज की करता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगर नई शिक्षा नीति 2020 को सही तरीके से लागू किया जाए तो यह भारतीय शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। हालाँकि इसके कुछ उद्देश्यों में लक्ष्यों की स्पष्टता का अभाव है, लेकिन हम वास्तव में इसका न्याय तब तक नहीं कर सकते जब तक कि इसकी लिखित योजनाएँ क्रिया में न आ जाएँ। हम केवल सर्वोत्तम परिणामों की आशा कर सकते हैं, आखिरकार, यह छात्रों के समग्र विकास और प्रगति को ध्यान में रखते हुए लाई गयी है।

8. सन्दर्भ

1. ओड़, एल. के. शैक्षिक प्रशासन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, प्रीमियर प्रन्टिंग प्रेस, जयपुर, 2007.
2. अग्रवाल, पवन. श्रम बाजार के अनुरूप उच्च शिक्षा, योजना, अंकः 09 सितम्बर, 2009 पृष्ठ सं. 11–13 .
3. चन्सौरिया, मुकेश. भारत में उच्च शिक्षाः समस्याएं एवं समाधान, योजना, अंकः 09, सितम्बर, 2009 पृष्ठ सं. 27–30
4. पाण्डेय, हरेश भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम का विकास, परिप्रेक्ष्य, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन, वर्ष 14 अंक–1, अप्रैल 2007, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, 17 श्री अरविदों मार्ग, नई दिल्ली, 2007.
5. फांसिस, सौदंराराज, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन हायर एजुकेशन इन इण्डिया, यूनिवर्सिटी न्यूज, 39(29), ए0आई0यू0 नई दिल्ली, 2001.
6. भटनागर, आर0 पी0 एवं विद्या अग्रवाल, शैक्षिक प्रशासन, इण्टरनेशनल पब्लिकेशन हाउस, लायल बुक डिपो, मेरठ, 2007.
7. रहमान, सफी. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इंडिया टुडे 25 जून 2008, पृ. 20–21
8. सिंह, एल. सी0, सेल्फ फाइनेसिंग हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी न्यूज, ए0आई0यू0, नई दिल्ली, 2003, 40(40).
9. भारत सरकार, नई शिक्षा नीति–2020, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली, 2020.
10. भारत सरकार, नई शिक्षा नीति–2020, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली, 1986.
11. भारत सरकार, नई शिक्षा नीति–2020, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली, 1968.
12. भारत सरकार, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली, 2009.

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.